

## प्रपत्र- 2

जो का नाम: Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-  
stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-  
Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand

### आग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

जना विवरणः

अजनत टहमार शामा  
राजरव उप निरीक्षक  
बाहरील-सितारगंज

वन क्षेत्राधिकारी  
वन क्षेत्र क्षेत्र, सितारगंज  
तार्ड पूर्ण प्रसाद, दिल्ली

परियोजना निपत्रक  
प्राथमिक राज्यपर्यावरण  
परियोजना क्षेत्र इकाई, दिल्ली (उत्तर)

अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand
1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वर्णों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	सलग्न है।
परियोजना की लागत।	रु० 1580 करोड़
वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	प्रस्तावित परियोजना मौजूदा सङ्क के 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण हेतु संरक्षित

वन भूमि आवेदित	
लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	सलग्न है।
रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना	प्रस्तावित परियोजना सङ्क के 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में कार्यरत स्थानीय मजदूरों एंव रखरखाव में कार्यरत कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त होगा।
कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	0.7905 हेक्टर सङ्क के 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण हेतु।
परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	शून्य
परिवारों की संख्या	शून्य
अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है?	नहीं
प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के	सलग्न है।

	साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः बनीकरण की व्यवस्था (व्यवस्था संलग्न की जाए) ।	
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा ।	सलग्न है।

अजयते चुमार द्वारा  
राजस्व उप नियोक्तक  
वहाँगी-सितारगंड

दिनांक :

स्थान :

१३०८२०२३

वन क्षेत्राधिकारी  
बाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंड  
तराई पूर्वी प्रभाग, हल्द्वानी

हस्ताक्षर  
परियोजना निदेशक  
आरतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
परियोजना कार्यालय इकाई, बोली (उथाठ)

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

**परियोजना का नाम:** Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand starting from Ch. 0+000 is Mundian Ahmad Nagar & terminates at Ch. 64+760 near Sitarganj at Pandri. The length of project road is 64.760 Km

## भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

### 3. परियोजना / स्कीम का स्थान

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- ii) जिला
- iii) वन प्रभाग
- iv) बनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति vi) हरियाली का घनत्व
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाए)
  - सिंचाई / जलीय परियोजनाओं सम्बन्ध में एफआर०एल०] – 8 मी० पर परिणाम भी संलग्न किए जाए।
- viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर टिप्पणी
- ix) बनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवगण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख बन्द जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो।

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य

और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों साथ  
मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है  
(हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों  
पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन  
सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

#### 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का

- i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर  
क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी  
दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या  
प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित बनेतर क्षेत्र  
/ अवक्रमित वन क्षेत्र, आरा पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप
- iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम  
के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी समय सूची लागत ढाचा आदि।
- iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय
- v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता  
के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से  
प्रमाण-पत्र (सम्ब उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

#### 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8  
और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए

#### 12- प्रभाग / जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- i. जिला का वन क्षेत्र।
- ii. मामलों की संख्या सहित 1980 प्रयोग में  
लाया गया कुल क्षेत्र
- iii. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल  
प्रतिकूल वनीकरण
  - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
  - (ख) वनेतर भूमि पर वर्ष 2017-18 तक प्रतिपूरक  
वनीकरण में हुयी प्रगति
  - (क) वन भूमि पर

(ख) बनेतर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने  
के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

(प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित)

दिनांक

स्थान-

**परियोजना का नाम:** Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand starting from Ch. 0+000 is Mundian Ahmad Nagar & terminates at Ch. 64+760 near Sitarganj at Pandri. The length of project road is 64.760 Km

## भाग- III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14 - स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15 - क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर

तिथि.....  
पदनाम

नाम और

स्थान.....  
मोहर

सरकारी

**परियोजना का नाम:** Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand starting from Ch. 0+000 is Mundiyian Ahmad Nagar & terminates at Ch. 64+760 near Sitarganj at Pandri. The length of project road is 64.760 Km

## भाग- IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17 टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या  
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय  
और निर्दिष्ट सिफारिशों (राय देते समय, सम्बन्धित  
वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल  
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक  
टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर

तिथि:  
पदनाम

नाम और

स्थान :  
मोहर

सरकारी

**परियोजना का नाम:** Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand starting from Ch. 0+000 is Mundian Ahmad Nagar & terminates at Ch. 64+760 near Sitarganj at Pandri. The length of project road is 64.760 Km

## **भाग- V**

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17. राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग- या भाग-III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि:

नाम और पदनाम

स्थान:

सरकारी मोहर